

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ
सूचना प्राप्त करने हेतु दिये गये आवेदनों के सम्बन्ध में मासिक सूचना का प्रारूप

क्र०स०	विभाग का नाम	सूचना अधिकारी का नाम एवं पदनाम	माह के लम्बित	प्रारम्भ में आवेदन	योग	माह में प्राप्त आवेदन	कुल विचाराधीन आवेदन	माह में निस्तारण	अवशेष		योग
									30 दिन के अन्दर	30 दिन के ऊपर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	सिंचाई विभाग	श्री सजय कुमार अधीक्षण अभियन्ता प्र०सु०प्र० सि०वि० उ०प्र० लखनऊ	-	-	-	32	31	31	00	00	00



नोट - एक पत्र मूलरूप में आवेदक को वापस ।

6/4/2018
अधीक्षण अभियन्ता एवं
जनसूचना अधिकारी, सि०वि०

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ

सूचना प्राप्त करने हेतु दिये गये आवेदनों के सम्बन्ध में मासिक सूचना का प्रारूप

क्र०सं०	विभाग का नाम	अपीलीय अधिकारी का नाम एवं पदनाम	माह के लम्बित अपीलवी पत्रों की सं०		योग	माह में प्राप्त अपीलीय पत्र	कुल विचाराधीन अपील पत्र	माह में निस्तारित अपीलीय पत्र	अवशेष		योग
			30 दिन के अन्दर	30 दिन के ऊपर					30 दिन के अन्दर	30 दिन के ऊपर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	सिंचाई विभाग	श्री शैलेंद्र मुख्य अभियन्ता, अनुसंधान एवं नियोजन सि०वि० उ०प्र०, लखनऊ	03	01	04	10	14	वर्तमान के 10 पूर्व के अवशेष 04 योग- 14	00	00	00


 6/4/2018
 अधीक्षण अभियन्ता एवं
 जनसूचना अधिकारी सि०वि०


सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत राज्य सूचना आयोग द्वारा नीचे प्राधिकरणों में नामित सूचना अधिकारियों पर आरोपित आरोपित शरित (2005) का पालन।
 अनुसूचित अधिकारी कार्यालय प्रमुख अधिकारिता सिविल विभाग उत्तर प्रदेश सरकार

क्र. सं.	विभाग का नाम	अनुसूचित अधिकारी का विवरण जिसकी विरुद्ध दण्ड प्रारित किया गया	दण्ड प्रारित करने का दिनांक	दण्ड में निर्दिष्ट क्षमताओं का प्रकार	प्रारित दण्ड की विरुद्ध विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई प्रत्युत्पत्तिकी तथ्यवस्तु स्थिति	विभाग द्वारा दण्ड सूचना अधिनियमों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की स्थिति (यदि कोई हो)	प्रारित दण्ड के बाद के विभाग द्वारा की गई कार्यवाही	अपेक्षा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सिवाई विभाग	श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव (सिवायिकृत) मुख्य अधिकारिता (सीन)	दण्ड संख्या एम 8/684/सी/दिनांक 28.06.10	25000.00				20.06.2010 का कार्यवाही के 20-2019/दिनांक 1 न 11 प्रस्ताव 1587/दिनांक 12-10-12 एवं प्रस्ताव 1120/ / प्रस्ताव 1120/दिनांक 7.6.13 के माता से संबंधित कार्यवाही हेतु मुख्य अधिकारिता (सीन)की पत्र लिखत प्राप्त है एवं श्री अमित कुमार श्रीवास्तव सेवानिवृत्त मुख्य अधिकारिता द्वारा अधिनियम 2005 के अन्तर्गत दिनांक 15.5.2010 एवं दिनांक 15.5.2010/दिनांक 13.5.10 के माता से उत्पन्न प्रारोपित आरोपणों का निराकरण करने हेतु यह राज्य सूचना आयोग में अनुसूचित किया गया है। 500 क्षमताओं के प्रस्ताव 1118/प्रस्ताव/दिनांक 01.07.2010/प्रस्ताव 1118/प्रस्ताव/दिनांक 07.08.2010/प्रस्ताव 205/प्रस्ताव/दिनांक 03.2014, प्रस्ताव 1150/प्रस्ताव/दिनांक 20.10.14, प्रस्ताव 205/प्रस्ताव/दिनांक 11.1.15 के माता से उत्पन्न प्रारोपित आरोपणों का निराकरण हेतु
2	उपरोक्त	अनिल कुमार श्रीवास्तव (सीन)	दण्ड संख्या एम 8/684/सी/दिनांक 28.06.10	25000.00				20.06.2010 का कार्यवाही के 20-2019/दिनांक 1 न 11 प्रस्ताव 1587/दिनांक 12-10-12 एवं प्रस्ताव 1120/ / प्रस्ताव 1120/दिनांक 7.6.13 के माता से संबंधित कार्यवाही हेतु मुख्य अधिकारिता (सीन)की पत्र लिखत प्राप्त है एवं श्री अमित कुमार श्रीवास्तव सेवानिवृत्त मुख्य अधिकारिता द्वारा अधिनियम 2005 के अन्तर्गत दिनांक 15.5.2010 एवं दिनांक 15.5.2010/दिनांक 13.5.10 के माता से उत्पन्न प्रारोपित आरोपणों का निराकरण करने हेतु यह राज्य सूचना आयोग में अनुसूचित किया गया है। 500 क्षमताओं के प्रस्ताव 1118/प्रस्ताव/दिनांक 01.07.2010/प्रस्ताव 1118/प्रस्ताव/दिनांक 07.08.2010/प्रस्ताव 205/प्रस्ताव/दिनांक 03.2014, प्रस्ताव 1150/प्रस्ताव/दिनांक 20.10.14, प्रस्ताव 205/प्रस्ताव/दिनांक 11.1.15 के माता से उत्पन्न प्रारोपित आरोपणों का निराकरण हेतु

							201/एसी/753/ प्रसुप्र/ दिनांक 13.9.13 पत्रांक 310/ प्रसुप्र/ दिनांक 6.3.2014, पत्रांक-1249/ प्रसुप्र/ दिनांक 20.10.14 एवं पत्रांक 241/ प्रसुप्र/ दिनांक 12.3.15के माध्यम से वांछित कार्यवाही हेतु निर्दिष्ट किया गया है ।
3	तदीय	अधिवासी अभियन्ता फतेहपुर खंड निचली गंगा नहर फतेहपुर	बाद संख्या- एस7-2705 दिनांक 10.06.11	25000.00			इस कार्यालय के पत्रांक-593/ प्रसुप्र/ दि० 28.2. 12 पत्रांक 1597/ प्रसुप्र/ दिनांक 12.10. 12 पत्रांक 352/ दि० 15.2.13, पत्रांक 440/ प्रसुप्र/ दिनांक 27.2.13, पत्रांक 709 / प्रसुप्र/ दिनांक 3.4.13, पत्रांक 1137/ प्रसुप्र/ दिनांक 10. 6.13, पत्रांक 1319/ प्रसुप्र/ दिनांक 01.07. 2013 पत्रांक 1565/ प्रसुप्र/ दिनांक 07.08. 2013, पत्रांक 1764/ प्रसुप्र/ दिनांक 18 सितम्बर, 2013, पत्रांक 308/ प्रसुप्र/ दिनांक 8.3. 2014, पत्रांक-1352/ प्रसुप्र/ दिनांक 20.10.14 एवं पत्रांक 235/ प्रसुप्र/ दिनांक 11.3.15के माध्यम से वांछित कार्यवाही हेतु निर्दिष्ट किया गया है ।
4	तदीय	अधिवासी अभियन्ता फतेहपुर खंड निचली गंगा नहर फतेहपुर	बाद संख्या- एस 7-653/ / सी/ 09 दिनांक 03.10.12	25000.00			इस कार्यालय के पत्रांक-593/ प्रसुप्र/ दि० 28.2. 12 पत्रांक 1597/ प्रसुप्र/ दिनांक 12.10. 12 पत्रांक 352/ दि० 15.2.13, पत्रांक 440/ प्रसुप्र/ दिनांक 27.2.13 एवं पत्रांक 709 / प्रसुप्र/ दिनांक 3.4.13, पत्रांक 1137/ प्रसुप्र/ दिनांक 10.6.13, पत्रांक 1319/ प्रसुप्र/ दिनांक 01.07.2013, पत्रांक 1565/ प्रसुप्र/ दिनांक 07.08.2013, पत्रांक 308/ प्रसुप्र/ दिनांक 6.3.2014, पत्रांक-1352/ प्रसुप्र/ दिनांक 20.10.14 एवं पत्रांक 235/ प्रसुप्र/ दिनांक 11.3.15 के माध्यम से वांछित कार्यवाही हेतु निर्दिष्ट किया गया है ।
5	तदीय	अधिवासी अभियन्ता सिमाई खण्ड-4 प्रयागीपुर सुल्तानपुर	बाद संख्या एस 7-719 / सी/ 10 दिनांक 19.04.12	25000.00			अधिवासी अभियन्ता द्वारा अपने पत्रांक 87/ एसओख-49सु०/ दिनांक 11.1.13 के माध्यम से अध्यापक कराया गया है कि उक्त बण्ड की नार्फी हेतु दिनांक 1.11.12 के माध्यम से साठ अध्यापक से अध्यापक की गयी है एवइस समाप्ति के पत्रांक-820/ प्रसुप्र/ दिनांक 22.4. 13 पत्रांक 1122/ प्रसुप्र/ दिनांक 7.6.13 पत्रांक 1311/ प्रसुप्र/ दिनांक 03.07.2013 पत्रांक 1477/ प्रसुप्र/ दिनांक 07.08.2013 पत्रांक

						पत्रांक-1356/प्रसुप्र/दिनांक 20.10.14 एवं पत्रांक 233/प्रसुप्र/दिनांक 11.3.15 के माध्यम से अधिरूपित वण्ड की अद्यतन स्थिति हेतु निर्दिष्ट किया गया है।
6	तटीय	श्री बीपी० सिंह अधिवारी अभियन्ता सिचाई खण्ड द्वितीय कुशीनगर	वाढ संख्या- एस.4-887 /सी/11 दिनांक 02.02.12	25000.00	मा० लक्ष्म न्यायालय इलाहाबादके आदेश दिनांक 29.4 13 द्वारा एण्ड स्थगित।	अधिवारी अभियन्ता सिचाई खण्ड द्वितीय कुशीनगर कोइस कार्यालय के पत्रांक 1400/प्रसुप्र/दिनांक 30.8.12 1511/प्रसुप्र/दिनांक 26.9.12 पत्रांक 819/प्रसुप्र/दिनांक 24.4.13, पत्रांक 1134/प्रसुप्र/दिनांक 7.8.13, पत्रांक 1333/प्रसुप्र/दिनांक 03.07.2013 एवं के माध्यम से उक्त अधिरूपित वण्ड की वसूली हेतु सम्बन्धित को निर्दिष्ट किया गया है। मुख्य अभियन्ता, (गण्डक) सि०वि० गोरखपुर द्वारा अपने पत्रांक 3316/मु०अ०ग०/दिनांक 02.05.2013 द्वारा सूचित किया गया है कि मा० लक्ष्म न्यायालय इलाहाबाद द्वारा उक्त वसूली के विरुद्ध दिनांक 29.4.2013 को स्थगन आदेश पारित किया गया है।
7	तटीय	श्री आर.पी वीरम अधिवारी अभियन्ता सिचाई एवं हाथरस	वाढ संख्या- एन 10 -2017/सी/11 दिनांक 01.12.11	25000.00	एण्ड वसूल	अधीक्षण अभियन्ता सिचाई कार्य मण्डल मथुरा द्वारा अपने कार्यालय डाप सं०-547 /सिकानेन/दिनांक 20.3.13के माध्यम से अधिरूपित घनराशि को कटौति सम्बन्धित अधिवारी अभियन्ता के वेतन से कर ली गयी है एवं उक्त घनराशि को राजकोश में जमा कराकर रसीद की छायाप्रति प्राप्त एव इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या-1123/प्रसुप्र/दिनांक 7.8.13 पत्रांक 1337/प्रसुप्र/दिनांक 04.07.2013 पत्रांक 1566/प्रसुप्र/दिनांक 07.08.2013 एवं के माध्यम से निर्दिष्ट किया गया है।
8	तटीय	श्री राजाराम अधिवारी अभियन्ता मदन प्रयाग सीवा	वाढ संख्या- एस.4-26/ सी/11 दिनांक 17.05.12	25000.00		अधिवारी अभियन्ता केन मदन प्रखण्ड बीदा के इस कार्यालय में पत्रांक 1121 /प्रसुप्र/दिनांक 6.8.13 एवं पत्रांक 1536/प्रसुप्र/दिनांक 24.07 2013 पत्रांक 1588/प्रसुप्र/दिनांक 07.08 2013 पत्रांक 1351/प्रसुप्र/दिनांक 20.10 14, 309/प्रसुप्र/दिनांक 6.3.2014 एवं पत्रांक 158/प्रसुप्र/दिनांक 11.3.15 के माध्यम से अधिरूपित वण्ड की वसूली/अद्यतन स्थिति हेतु

							निर्दिष्ट किया गया है। अधिभारी अभियन्ता द्वारा अपने पत्रांक 30/सिनिमम/दिनांक 31.07.2013 के माध्यम से दण्ड माफी हेतु 500 रुकावट सूचना आयोग के समक्ष अपील की गयी है। अधिभारी अभियन्ता सिंचाई निर्माण खण्ड सिद्धार्थनगर को इस कार्यालय के पत्रांक-177/प्रसुप्र/दिनांक 22.01.13 एवं पत्रांक-441/प्रसुप्र/दिनांक 27.02.13, पत्रांक-1119/प्रसुप्र/दिनांक 7.6.13, पत्रांक-1390/प्रसुप्र/दिनांक 03.07.2013 एवं के माध्यम से अधिरोपित दण्ड की वसूली की रसीद की प्रमाणित प्रति हेतु निर्दिष्ट किया गया है। (दण्ड वसूल)
9	तद्वैत	श्री आर. बी. सिंह अधिभारी अभियन्ता सिंचाई खंड प्रथम बलिया	वाद संख्या- एस.4-489/ सी/11 दिनांक	25000.00	दण्ड वसूल (रसीद अप्राप्त)		
10	तद्वैत	अधिभारी अभियन्ता सिंचाई खंड प्रथम बलिया	वाद संख्या- एस.4-1429/ सी/11 दिनांक 13.6.12	25000.00			अधिभारी अभियन्ता सिंचाई खण्ड प्रथम बलिया को इस कार्यालय के पत्रांक 23/प्रसुप्र/दिनांक 4.1.12 पत्रांक 1133/प्रसुप्र/दिनांक 7.6.13 पत्रांक 1329/प्रसुप्र/दिनांक 03.07.2013 पत्रांक 1567/प्रसुप्र/दिनांक 07.08.2013 307/प्रसुप्र/दिनांक 6.3.2014 एवं पत्रांक-1355/प्रसुप्र/दिनांक 20.10.14 एवं पत्रांक 204/प्रसुप्र/दिनांक 11.3.15 के माध्यम से अधिरोपित दण्ड की वसूली/अद्यतन स्थिति हेतु निर्दिष्ट किया गया है।
11	तद्वैत	अधिभारी अभियन्ता धारवा सहायक खण्ड-39 इलाहाबाद।	वाद सं.एस-7/ 362/सी/10	25000.00	दण्ड पूर्णस्थिति		इस कार्यालय के पत्रांक 1571/प्रसुप्र/दिनांक 8.8.2013 पत्रांक 1782/प्रसुप्र/दिनांक 18.9.2013 एवं पत्रांक-1351/प्रसुप्र/दिनांक 20.10.14 एवं पत्रांक 240/प्रसुप्र/दिनांक 11.3.15 के माध्यम से अद्यतन स्थिति की सूचना उपलब्ध करने हेतु निर्दिष्ट किया गया है अधिभारी अभियन्ता द्वारा अधिरोपित दण्ड माफ किये जाने हेतु याद आयोग के समक्ष दिनांक 11.6.2013 को अपील करने पर वसूल किया गया है जिसकी सूचनाई 23.10.13 को होने की अवधान स्थिति की सूचना अभी तक अप्राप्त है।
12	तद्वैत	अधिभारी अभियन्ता लोहर खण्ड आगरा खंड आगरा	वाद सं.एस-8/ 1493/सी/10	25000.00			इस कार्यालय के पत्रांक 1571/प्रसुप्र/दिनांक 8.8.2013 पत्रांक 1782/प्रसुप्र/दिनांक 18.9.2013 पत्रांक 1351/प्रसुप्र/दिनांक 20.10.14 एवं पत्रांक 240/प्रसुप्र/दिनांक 11.3.15 के माध्यम से दण्ड वसूल/अद्यतन स्थिति हेतु निर्दिष्ट किया गया है। अधिभारी अभियन्ता द्वारा अपने पत्रांक 1039/दिनांक 28.07.13

